

# इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1984

(1984 का अधिनियम संख्यांक 17)

[31 मार्च, 1984]

टायरों, ट्यूबों और रबड़ के अन्य माल का, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, विनिर्माण, उत्पादन और वितरण जारी रखना सुनिश्चित करके, जनसाधारण के हित साधन के लिए इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की पहली अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं का, अर्थात् टायरों, ट्यूबों और रबड़ के अन्य माल का विनिर्माण, उत्पादन और वितरण करते थे ;

और इनचैक टायर्स लिमिटेड के उपक्रमों का प्रबन्ध और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड के उपक्रमों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबन्धों के अधीन ग्रहण कर लिया था ;

और दोनों कंपनियों के उपक्रमों द्वारा टायरों, ट्यूबों और रबड़ के अन्य माल के विनिर्माण, उत्पादन और वितरण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एक बड़ी रकम का विनिधान करना आवश्यक है ;

और यह आवश्यक है कि इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड के उपक्रमों का अर्जन कर लिया जाए जिससे कि केन्द्रीय सरकार ऐसे विनिधान करा सके और यह सुनिश्चित कर सके कि उन कंपनियों के उपक्रम, पूर्वोक्त माल का, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, विनिर्माण, उत्पादन और वितरण जारी रख कर जनसाधारण का हितसाधन करते रहें ;

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1984 है ।

(2) यह 14 फरवरी, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

**2. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “नियत दिन” से 14 फरवरी, 1984 अभिप्रेत है ;

(ख) “आयुक्त” से धारा 15 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) “विद्यमान सरकारी कंपनी” से ऐसी सरकारी कंपनी अभिप्रेत है, जो नियत दिन को कारबार चला रही है ;

(घ) “नई सरकारी कंपनी” से ऐसी सरकारी कंपनी अभिप्रेत है जो नियत दिन को या उसके पश्चात् बनाई और रजिस्ट्रीकृत की गई है ;

(ङ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में, “विनिर्दिष्ट तारीख” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार उस उपबंध के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(ज) “दोनों कंपनियां” से इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड अभिप्रेत हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित कंपनियां हैं और जिनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय “लेसली हाउस”, 19, जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-700013 में हैं ;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

## अध्याय 2

### दोनों कंपनियों के उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण

3. दोनों कंपनियों के उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण और उनका उसमें निहित होना—नियत दिन को दोनों कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी के उपक्रम और उनके उपक्रमों के संबंध में दोनों कंपनियों के अधिकार, हक और हित, इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) धारा 3 में निर्दिष्ट दोनों कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अंतर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम संपत्ति, जिसके अंतर्गत ऐसी भूमियां, भवन कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, रोकड़ बाकी, हाथ की रोकड़, चैक, मांगदेय ड्राफ्ट, आरक्षित निधियां, विनिधान, बही ऋण और ऐसी संपत्ति में या उससे उद्भूत होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे और तत्संबंधी सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर और किसी भी प्रकार की अन्य सभी दस्तावेजें भी हैं ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी संपत्तियां, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित होने के बल पर, किसी भी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश को, जो ऐसी संपत्तियों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बन्धित करे, या ऐसी सम्पूर्ण संपत्तियों या उनके किसी भाग की बाबत कोई रिसीवर नियुक्त करे, वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

(3) किसी ऐसी संपत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार और ऐसी किसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार और अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का बंधकदार या ऐसी किसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, उस कंपनी के संबंध में जो ऐसी संपत्ति का स्वामी है, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम में से और धारा 9 में निर्दिष्ट रकमों में से भी, बंधक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णतः या भागतः संदाय के लिए, अपने अधिकारों और हितों के अनुसार, दावा करने का हकदार होगा, किन्तु ऐसा कोई बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(5) किसी ऐसे उपक्रम के संबंध में, जो नियत दिन के पूर्व किसी भी समय धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, दोनों कंपनियों में से किसी को प्रदत्त और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत, ऐसे उपक्रम के संबंध में और उसके प्रयोजनों के लिए ऐसे दिन को और उसके पश्चात् अपने प्रकट शब्दानुसार प्रवृत्त बनी रहेगी, तथा धारा 6 के अधीन ऐसे उपक्रम के किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में या धारा 7 के अधीन किसी नई सरकारी कंपनी में निहित होने की तारीख से ही, यथास्थिति, विद्यमान या नई सरकारी कंपनी ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में प्रतिस्थापित हो गई समझी जाएगी मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत ऐसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को प्रदत्त की गई थी और ऐसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी उसे उस शेष अवधि के लिए धारण करेगी जिसके लिए उसे वह कंपनी जिसे वह अनुदत्त की गई थी, उसके निबन्धनों के अनुसार धारण करती ।

(6) यदि नियत दिन को, किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, दोनों कंपनियों में से किसी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या प्रस्तुत किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, लम्बित है तो ऐसी कंपनी के उपक्रमों के अन्तरण या इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध, या जहां दोनों कंपनियों के उपक्रम धारा 6 या धारा 7 के अधीन किसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, वहां ऐसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध, चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी ।

**5. कुछ पूर्व दायित्वों के लिए कंपनियों का दायी होना—**(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व से भिन्न दोनों कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी का प्रत्येक दायित्व, संबंधित कंपनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां दोनों कंपनियों के उपक्रम किसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध।

(2) किसी ऐसी सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई दायित्व, जिसका प्रदाय कंपनी के उपक्रमों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात्, दोनों कंपनियों में से किसी कंपनी को किया गया है, नियत दिन से ही, केन्द्रीय सरकार या पूर्वोक्त विद्यमान या नई सरकारी कंपनी का दायित्व हो जाएगा और उसका उन्मोचन, यथास्थिति, उस सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा, जब और जैसे ही ऐसे प्रदायों के लिए प्रतिसंदाय शोध्य और संदेय हो जाए, तब और वैसे ही किया जाएगा।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा या घोषित किया जाता है कि—

(क) इस धारा में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत दोनों कंपनियों में से किसी कंपनी का अपने उपक्रमों के संबंध में कोई दायित्व, जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व से भिन्न है, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या, जहां दोनों कंपनियों के उपक्रम किसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) दोनों कंपनियों में से किसी कंपनी के उपक्रमों के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो नियत दिन के पूर्व उत्पन्न किसी मामले, दावे या विवाद के बारे में, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कोई मामला, दावा या विवाद नहीं है, नियत दिन को या उसके पश्चात् पारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां दोनों कंपनियों के उपक्रम किसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध नहीं होगा ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए नियत दिन के पूर्व उपगत किया गया दोनों कंपनियों में से किसी कंपनी का कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां दोनों कंपनियों के उपक्रम किसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा।

**6. दोनों कंपनियों के उपक्रमों के किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित किए जाने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—**(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, और धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई विद्यमान सरकारी कंपनी ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द हैं या उसने उनका अनुपालन कर लिया है, तो वह अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि दोनों कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी के उपक्रम और दोनों कंपनियों में से प्रत्येक के अपने उपक्रमों के संबंध में, अधिकार, हक और हित, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय, या तो अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख न हो), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे।

(2) जहां दोनों कंपनियों के, उनके उपक्रमों के संबंध में, अधिकार, हक और हित, उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, वहां वह सरकारी कंपनी ऐसे निहित होने की तारीख से ही और धारा 7 के उपबंधों के आधार पर उन उपक्रमों का किसी नई सरकारी कंपनी को अन्तरण होने तक, ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही और ऐसे अन्तरण की तारीख तक, उस विद्यमान सरकारी कंपनी के क्रमशः अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे।

**7. दोनों कंपनियों के उपक्रमों का किसी विद्यमान सरकारी कंपनी से किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरण—**(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, जहां दोनों कंपनियों में से प्रत्येक के उपक्रम धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वहां यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि नई सरकारी कंपनी ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना वह सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द है या उसने उनका अनुपालन कर लिया है तो वह अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि दोनों कंपनियों में से प्रत्येक के उपक्रम और दोनों कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी के उसके अपने उपक्रमों के संबंध में अधिकार, हक और हित उस नई सरकारी कंपनी को अन्तरित किए जाएं और ऐसी घोषणा जारी कर दी जाने पर, दोनों कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी के उसके अपने उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, अधिकार, हक और हित उस विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित बने रहने के बजाय, ऐसी घोषणा जारी किए जाने की तारीख से, उस नई सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे।

(2) जहां दोनों कंपनियों के उपक्रमों के संबंध में विद्यमान सरकारी कंपनी के अधिकार, हक और हित, उपधारा (1) के अधीन किसी नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, वहां वह नई सरकारी कंपनी, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के संबंध में उस विद्यमान सरकारी कंपनी के सभी अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, उस नई सरकारी कंपनी के क्रमशः अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे।

### अध्याय 3

#### रकमों का संदाय

**8. रकम का संदाय**—केन्द्रीय सरकार को धारा 3 के अधीन दोनों कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी के उपक्रमों का और दोनों कम्पनियों में से प्रत्येक के अपने उपक्रमों के संबंध में अधिकार, हक और हित का अन्तरण किए जाने और उनके उसमें निहित किए जाने के लिए, केन्द्रीय सरकार दोनों कम्पनियों में से प्रत्येक को नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से उतनी रकम देगी जो पहली अनुसूची में ऐसी कम्पनी के नाम के सामने विनिर्दिष्ट रकम के बराबर है।

**9. अतिरिक्त रकमों का संदाय**—(1) केन्द्रीय सरकार, दोनों कम्पनियों के उपक्रमों के प्रबन्ध से उनके वंचित किए जाने के लिए प्रत्येक कम्पनी को उस तारीख से प्रारम्भ हो कर, जिसको उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आदेशों के अनुसरण में, ऐसी प्रत्येक कम्पनी के उपक्रमों को ग्रहण किया गया था, नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, ऐसी कम्पनियों में से प्रत्येक को पचास हजार रुपए की रकम नकद देगी।

(2) धारा 8 में निर्दिष्ट रकम और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम पर, चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज नियत दिन से प्रारम्भ हो कर उस तारीख को, जिसको ऐसी रकमों का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए मिलेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, दोनों कम्पनियों को उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम और उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकम उस रकम के अतिरिक्त देगी, जो धारा 8 में विनिर्दिष्ट है।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा या घोषित किया जाता है कि दोनों कम्पनियों में से किसी के उनके अपने उन उपक्रमों के संबंध में जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, दायित्वों का उन्मोचन दोनों कम्पनियों के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार, धारा 8 में निर्दिष्ट रकम में से और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम और उपधारा (2) के अधीन अवधारित रकम में से भी किया जाएगा।

### अध्याय 4

#### दोनों कम्पनियों के उपक्रमों का प्रबन्ध आदि

**10. दोनों कम्पनियों के उपक्रमों का प्रबन्ध आदि**—दोनों कम्पनियों में से प्रत्येक के उन उपक्रमों के, जिनके संबंध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबन्ध,—

(क) जहां केन्द्रीय सरकार ने धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है, वहां ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, उस निदेश में विनिर्दिष्ट विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होगा; या

(ख) जहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा की गई है वहां ऐसी घोषणा की तारीख से ही, उसमें विनिर्दिष्ट नई सरकारी कंपनी में निहित होगा,

और तब इस प्रकार विनिर्दिष्ट विद्यमान या नई सरकारी कंपनी अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य करने की हकदार होगी जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कार्यों को करने के लिए दोनों कम्पनियों में से कोई कंपनी या दोनों कम्पनियां अपने उपक्रमों के संबंध में प्राधिकृत हैं।

**11. दोनों कम्पनियों के उपक्रमों के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां, आदि परिदत्त करने का कर्तव्य**—(1) दोनों कम्पनियों के उपक्रमों का प्रबन्ध किसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो जाने पर, ऐसे निहित होने से ठीक पूर्व दोनों कम्पनियों में से किसी के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्ति ऐसी सरकारी कंपनी को उपक्रमों से संबंधित ऐसी सभी आस्तियां, लेखा-बहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों, जो उनकी अभिरक्षा में हों, परिदत्त करने के लिए आवद्ध होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार, विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और ऐसी सरकारी कंपनी भी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाए तो केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय उस रीति के बारे में, जिससे दोनों कम्पनियों के उपक्रमों का प्रबन्ध, उसके द्वारा संचालित किया जाएगा या किसी अन्य ऐसे विषय के बारे में जो ऐसे प्रबन्ध के दौरान उत्पन्न हो, अनुदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगी।

**12. व्यक्तियों का उन आस्तियों आदि का लेखा-जोखा देने का कर्तव्य जो उनके कब्जे में हैं**—(1) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में नियत दिन को, दोनों कम्पनियों में से किसी के स्वामित्वाधीन ऐसे उपक्रमों से संबंधित कोई आस्तियां, बहियां, दस्तावेजों या अन्य कागजपत्र हैं जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, उक्त आस्तियों, बहियों, दस्तावेजों और अन्य कागजपत्रों का लेखा-जोखा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को देने का दायी होगा और वह उनका परिदान केन्द्रीय सरकार या ऐसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को या ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को करेगा जिसे या जिन्हें केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) केन्द्रीय सरकार या पूर्वोक्त सरकारी कंपनी उन दोनों कंपनियों के उपक्रमों का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, कब्जा लेने के लिए सब आवश्यक कदम उठा सकेगी या उठवा सकेगी।

(3) दोनों कंपनियां केन्द्रीय सरकार को अपनी उन सब सम्पत्तियों और आस्तियों की, जो नियत दिन को उन उपक्रमों की थीं, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, पूर्ण सूची ऐसी अवधि के भीतर देगी जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, तथा इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या पूर्वोक्त सरकारी कंपनी दोनों कंपनियों को सब युक्तियुक्त सुविधाएं देगी।

## अध्याय 5

### दोनों कंपनियों के कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

**13. कर्मचारियों का बना रहना—**(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व दोनों कंपनियों में से किसी कंपनी के किसी उपक्रम में नियोजित रहा है,—

(क) नियत दिन से ही, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी हो जाएगा, और

(ख) जहां धारा 6 के अधीन या धारा 7 के अधीन दोनों कंपनियों के उपक्रम किसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां वह ऐसे निहित होने की तारीख से ही ऐसी सरकारी कंपनी का कर्मचारी हो जाएगा,

और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के अधीन पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे नियत दिन के ठीक पहले अनुज्ञेय थे और जिन्हें प्रबन्ध-मंडल और दोनों कंपनियों में से प्रत्येक के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा 10 फरवरी, 1984 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन द्वारा उपान्तरित कर दिया गया है, और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, दोनों कंपनियों में से किसी के किसी उपक्रम में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का केन्द्रीय सरकार या किसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अन्तरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

**14. भविष्य निधि तथा अन्य निधियां—**(1) जहां दोनों कंपनियों में से किसी ने अपने उपक्रमों में से किसी में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि, अधिवाषिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि स्थापित की है वहां ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अन्तरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियां, ऐसी भविष्य निधि, अधिवाषिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में नियत दिन को जमा धनराशियों में से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएगी।

(2) उन धनराशियों के संबंध में, जो उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अन्तरित हो गई हैं, उस सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा ऐसी रीति से कार्यवाई की जाएगी जो विहित की जाए।

## अध्याय 6

### संदाय आयुक्त

**15. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—**(1) धारा 8 और धारा 9 के अधीन दोनों कंपनियों में से प्रत्येक को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे, और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा।

(3) कोई व्यक्ति जिसे आयुक्त ने अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदान की गई हैं, प्राधिकार के रूप में नहीं।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे।

**16. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—**(1) केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर, आयुक्त को, दोनों कंपनियों में से प्रत्येक को संदाय करने के लिए उतनी रकम नकद देगी जो—

(क) पहली अनुसूची में ऐसी कंपनी के नाम के सामने विनिर्दिष्ट रकम के बराबर है ; और

(ख) धारा 9 के अधीन दोनों कंपनियों में से प्रत्येक को संदेय रकमों के बराबर है ।

(2) केन्द्रीय सरकार भारत के लोक लेखा में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रत्येक रकम को उस निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) आयुक्त, दोनों कंपनियों में से प्रत्येक के उन उपक्रमों के सम्बन्ध में जिनके बारे में उसे इस अधिनियम के अधीन संदाय किए गए हैं, पृथक् अभिलेख रखेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकम पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज दोनों कंपनियों के फायदे के लिए काम आएगा ।

**17. केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी की कुछ शक्तियाँ—**(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी, नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया कोई ऐसा धन जो दोनों कंपनियों में से किसी को उसके उन उपक्रमों के सम्बन्ध में शोध्य है जो केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार इस बात के होते हुए भी होगी कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की अवधि से सम्बन्ध रखती है ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी ऐसे प्रत्येक संदाय के सम्बन्ध में आयुक्त के समक्ष दावा कर सकेगी जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में, दोनों कंपनियों में से किसी के किसी ऐसे दायित्व का, जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई दायित्व नहीं है, उन्मोचन करने के लिए उस सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा नियत दिन के पश्चात् किया गया है, और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है जिसके सम्बन्ध में ऐसे दायित्व का उन्मोचन केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी ने किया है ।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियत दिन के पूर्व के किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में दोनों कंपनियों में से किसी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व उन्मोचन नहीं किया गया है, सम्बन्धित कंपनी के दायित्व होंगे ।

**18. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—**प्रत्येक व्यक्ति, जिसका दोनों कंपनियों में से किसी के स्वामित्वाधीन किन्हीं उपक्रमों के संबंध में, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत, उसके विरुद्ध कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के अन्दर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अन्दर दावा ग्रहण कर सकेगा, किन्तु इसके पश्चात् नहीं ।

**19. दावों की पूर्विकता—**दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से उद्भूत होने वाले दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग 1 को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग 2 को प्रवर्ग 3 पर अग्रता दी जाएगी, और इसी प्रकार आगे भी होगा ;

(ख) प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और पूर्णतः संदत्त किए जाएंगे, किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णतः चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो वे आनुपातिक रूप में कम कर दिए जाएंगे और तदनुसार संदत्त किए जाएंगे ;

(ग) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के उन्मोचन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए ।

**20. दावों की परीक्षा—**(1) आयुक्त, धारा 18 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर, उन्हें दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अनुसार क्रमबद्ध करेगा और उक्त क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत दावों की परीक्षा करे ।

**21. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—**(1) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त कोई तारीख नियत करेगा जिसको या जिससे पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा ।

(2) इस प्रकार नियत तारीख के बारे में कम से कम चौदह दिन की सूचना अंग्रेजी भाषा के किसी ऐसे दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जो देश के अधिकांश भाग में पढ़ा जाता है और ऐसी प्रादेशिक भाषा के किसी ऐसे दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत विज्ञापन में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर आयुक्त के समक्ष फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरण से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(4) आयुक्त, ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक हो और संबंधित कंपनी को दावे का खण्डन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, दावे को पूर्णतः या भागतः स्वीकार या अस्वीकार करेगा।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अन्तर्गत वह या वे स्थान भी हैं, जहां वह अपनी बैठकें करेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कोई कमीशन निकालना।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील, आरम्भिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संबंधित कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है वहां ऐसी अपील उस उच्च न्यायालय को होगी जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता है जिसमें कि संबंधित कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, और वह अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी।

**22. आयुक्त द्वारा धनराशि का संवितरण**—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् आयुक्त ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी रकम शोध्य है, और ऐसा संदाय कर दिए जाने पर, ऐसे दावे की बाबत दोनों कंपनियों में से प्रत्येक के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा।

**23. कंपनियों को रकमों का संवितरण**—(1) यदि दोनों कंपनियों में से प्रत्येक के उपक्रमों में से किसी के संबंध में आयुक्त को संदत्त धन में से, दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है, तो आयुक्त ऐसे अतिशेष का संवितरण संबंधित कंपनी को करेगा।

(2) जहां किसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति का कब्जा, इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गया है किन्तु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति दोनों कंपनियों में से किसी कंपनी की नहीं है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति को उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर कब्जे में रखे रहे जिन पर वे नियत दिन से ठीक पूर्व दोनों कंपनियों में से किसी कंपनी के कब्जे में थी।

**24. अंसवितरित या अदावाकृत रकम का साधारण राजस्व खाते में जमा किया जाना**—आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, जिसको आयुक्त का पद अन्तिम रूप से परिसमाप्त किया जाता है, अंसवितरित या अदावाकृत रहता है, आयुक्त द्वारा अपने पद के अन्तिम रूप से परिसमापित किए जाने के पहले, केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते को अन्तरित किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार अन्तरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकेगा और उस संबंध में इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानो ऐसा अन्तरण नहीं किया गया था और दावे के संदाय के लिए आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिदाय के लिए आदेश माना जाएगा।

## अध्याय 7

### प्रकीर्ण

**25. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव**—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उससे अंसगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

**26. संविदाएं निष्प्रभाव होंगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी उनका अनुसमर्थन न कर दे—**प्रत्येक संविदा, जो दोनों कम्पनियों में से किसी के द्वारा अपने उपक्रमों में से किसी के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई है और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति से ही प्रभावी नहीं रहेगी, जब तक कि ऐसी संविदा का उस अवधि की समाप्ति के पूर्व, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी, लिखित रूप से, अनुसमर्थन नहीं कर देती, और केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में उसमें ऐसा परिवर्तन या उपान्तरण कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में तब तक लोप नहीं करेगी और उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तरण तब तक नहीं करेगी जब तक कि—

(क) उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी के हितों के लिए अहितकर है ; और

(ख) वह संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने या संविदा में कोई परिवर्तन या उपान्तरण करने के अपने कारण अभिलिखित नहीं कर देती है ।

**27. शास्तियां—**जो कोई व्यक्ति—

(क) दोनों कम्पनियों में से किसी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) दोनों कम्पनियों में से किसी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे सदोष प्रतिधारित करेगा ; या

(ग) ऐसे उपक्रम से संबंधित किसी दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी से, या उस सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से जानबूझकर विधारित करेगा या उसे उसको देने में असफल रहेगा ; या

(घ) दोनों कम्पनियों में से किसी के उपक्रमों से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा-बहियों, रजिस्ट्रों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को या उस सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को परिदत्त करने में असफल रहेगा ; या

(ङ) दोनों कम्पनियों में से किसी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा कोई ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

**28. कम्पनियों द्वारा अपराध—**(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है ।

**29. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण**—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के या उस सरकार के या सरकारी कंपनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या उस सरकारी या सरकारी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से होते हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के या उस सरकार के या सरकारी कंपनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या उस सरकार या सरकार कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

**30. शक्तियों का प्रत्यायोजन**—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस धारा, धारा 31 या धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है तब वह व्यक्ति, जिसको ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

**31. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय जिसके अन्दर और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई सूचना दी जाएगी ;

(ख) वह रीति जिससे धारा 14 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि की धनराशियों के संबंध में कार्रवाई की जाएगी ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

**33. निरसन और व्यावृत्ति**—(1) इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

पहली अनुसूची  
[धाराएं 4(4), 8 और 16(1) देखिए]

क्रम सं०	कंपनी का नाम	रकम (लाख रुपयों में)
1.	इनचैक टायर्स लिमिटेड	330.40
2.	नेशनल रबर मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड	159.64

दूसरी अनुसूची  
[धाराएं 18, 19, 20(1), 21(1) और 23(1) देखिए]

दोनों कंपनियों के दायित्वों के उन्मोचन के लिए पूर्विकता का क्रम

**प्रवर्ग 1**

(क) इन कंपनियों के कर्मचारियों को संदेय मजदूरी, वेतन और अन्य शोध्य रकमें ।

(ख) इन कंपनियों द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, जीवन बीमा निगम के प्रीमियम और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य बकाया के लिए किए जाने वाले अभिदायों के संबंध में बकाया ।

**प्रबन्ध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि**

**प्रवर्ग 2**

उधारों की मूल रकम जो निम्नलिखित ने दी है :—

- (क) केन्द्रीय सरकार ;
- (ख) कोई राज्य सरकार ;
- (ग) बैंक और लोक वित्तीय संस्थाएं ;
- (घ) कोई अन्य स्रोत ।

**प्रवर्ग 3**

(क) कोई ऐसे उधार जिनका लाभ इन कंपनियों ने धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्वों से भिन्न, किन्हीं व्यापारिक या विनिर्माण संक्रियाओं को चलाने के प्रयोजन के लिए उठाया है ।

(ख) राज्य विद्युत् बोर्डों या अन्य सरकारी और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं की कोई शोध्य रकमें, जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्वों से भिन्न माल या सेवाओं के प्रदाय के सम्बन्ध में हैं ।

(ग) उधारों और अग्रिमों पर ब्याज की बकाया ।

**प्रवर्ग 4**

(क) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य रकमें ।

(ख) कोई अन्य शोध्य रकम ।

**प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व की अवधि**

**प्रवर्ग 5**

निम्नलिखित द्वारा दिए गए प्रतिभूत उधार की मूल रकम—

- (क) केन्द्रीय सरकार ;
- (ख) कोई राज्य सरकार ;
- (ग) बैंक और लोक वित्तीय संस्थाएं ।

**प्रवर्ग 6**

निम्नलिखित द्वारा दिए गए अप्रतिभूत उधार की मूल रकम—

- (क) केन्द्रीय सरकार ;
- (ख) कोई राज्य सरकार ;
- (ग) बैंक और लोक वित्तीय संस्थाएं ;
- (घ) कोई अन्य स्रोत ।

**प्रवर्ग 7**

- (क) इन कंपनियों द्वारा किसी व्यापारिक या विनिर्माण संक्रियाओं को चलाने के प्रयोजन के लिए गए कोई उधार ।
  - (ख) राज्य विद्युत बोर्डों या अन्य सरकारी या अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं की शोध्य रकमें, जो माल या सेवाओं के प्रदाय के सम्बन्ध में हैं ।
  - (ग) उधारों और अग्रिमों पर ब्याज की बकाया ।
  - (घ) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य रकमें ।
  - (ङ) कोई अन्य उधार या शोध्य रकमें ।
-